

**Reports under the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1964.**

**विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरसिंह) :** महोदय मैं एकाधिकार तथा अवरोधक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 62 के अधीन निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में) सभा पटल पर रखता हूँ :—

(i) 1 जनवरी से 31 दिसम्बर, 1976 की अवधि के लिए एकाधिकार तथा अवरोधक व्यवहार अधिनियम, 1969 के उपबन्धों को लागू करने के संबंध में छठा वार्षिक प्रतिवेदन।  
[Placed in Library. See No. LT-2315/78].

(ii) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 21(3) (ख) के अधीन खोपली (बम्बई) में एसीटिल सेलीसिलिक ऐसिड आई० पी० (एसपिरिन) तथा अन्य सेलीसिलेट्स के उत्पादन के लिए अपनी क्षमताओं के पर्याप्त विस्तार हेतु मेसर्स आलता लोबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड, बम्बई के मामले में एकाधिकार तथा अवरोधक व्यवहार आयोग का प्रतिवेदन, और उस पर केन्द्रीय सरकार का आदेश दिनांक 2 मई, 1978  
[Placed in Library. See No. LT-2314/78].

**I. Report (April 1978) of the Law Commission of India on the Hindu Marriage Act, 1955**

**II. Report of the Law Commission of India on Article 220 of the Constitution and related paper**

**श्री नरसिंह :** महोदय मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति श्री सभा पटल पर रखता हूँ :—

(1) (i) हिन्दू विवाह अधिनियम, 195 के बारे में भारत के विधि आयोग

इकहत्तरवां प्रतिवेदन (अप्रैल, 1978) विवाह के असुधार्य रूप से टूट जाने को विवाह-विच्छेद के आधार के रूप में लिया जाना।

(ii) संविधान के अनुच्छेद 220 के सम्बन्ध में भारत के विधि आयोग का बहत्तरवां प्रतिवेदन : स्थायी न्यायाधीश होने के पश्चात् वकालत पर निर्बन्धन।

(2) (1) ऊपर (i) में उल्लिखित प्रतिवेदनों का हिन्दी पाठ साथ-साथ सभा पटल पर रखने के कारणों को दर्शाने वाले विवरण (अंग्रेजी तथा हिन्दी में)

[Placed in Library. See No. LT-2313/78 for (1) and (2)].

**Report of the Railway Convention Committee**

SHRI SYED AHMAD HASHMI (Uttar Pradesh): Sir, I beg to lay on the Table a copy of the Third Report of the Railway Convention Committee on the action taken by Government on the recommendations contained in the Ninth Report of the Committee, 1973, on Social Burdens on Indian Railways.

**Petition Re: working and service conditions of the extra departmental employees of the Posts and Telegraphs Department**

SHRIMATI LEELA DAMODARA MENON (Kerala): Sir, I beg to present a petition signed by Shri B. K. Samantarary, Mail Carrier, C/o Sub-Postmaster, Nuapada (Ganjam) and 33 others regarding working and service conditions of the Extra Departmental Employees of the Posts and Telegraphs Department.